# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

श्रवण देवी बनाम सम्पत्ति देवी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 923/2017 | |
| 02/12/2025 | पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अत: अपील निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 08/12/2025 को पेश हो। | |
| 08/12/2025 | आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 6 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृत अधिनियम 1955 की धारा 251-क की उपधारा (1) का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 27/09/2017 पारित करते हुए प्रार्थना पत्र धारा 251-क की उपधारा(1) स्वीकार कर ग्राम लुहाकना कलां तहसील विराटनगर में स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1190 में से 264 वर्गमीटर, 1726/1191 में से 300 वर्गमीटर, 1184 में से 180 वर्गमीटर, 1160 में से 60 वर्गमीटर भूमि रास्ते के उपयोग हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारी का अवसान किया जाकर गैरमुमकिन रास्ता घोषित कर रास्ता कायमी के आदेश पारित किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।<br>अधिवक्ता उभयपक्ष की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट एवं आपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया गया है कि ग्राम "लुहाकना कलां में रास्ता हेतु श्रीमति सम्पत्ति देवी पत्नी मातादीन वगैरह जाति बलाई की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1647/1739, 1647/1737, 1647/1738, 1157/1647, 1647/1739, 1647/1740, 1647/1735 स्थित है, जिसमे मौके पर खातेदारान द्वारा मौके पर कृषि की जा रही है एवं आवासीय मकानात भी बना रखे है। इन खातेदारान को उक्त कृषि भूमि में आने-जाने हेतु आम रास्ता नही है, जिससे आने-जाने में परेशानी होती है।" जबकी अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में मुख्य उज्र यही दर्ज कराया गया है कि "धारा 251(ए) में मात्र तब ही नया रास्ता दिये जाने का प्रावधान है, जबकी अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही हो तथा रास्ते की अत्यधिक आवश्यक हो।" रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा रिपोर्ट तहसीलदार में यह कही भी अंकित नही किया गया कि रेस्पो. को अपनी खातेदारी की भूमि में आवागमन के लिये रास्ते की | |

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

**श्रवण देवी बनाम सम्पत्ति देवी**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|

आवश्यकता है, सुयोग्य परिक्षण न्यायालय ने तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को सही अर्थ लगाकर निर्णय जैर अपील पारित करने में गम्भीर क़ानूनी त्रुटी की है | उचित एवं मान्य आपत्ति जाहिर नही होती है क्यूकी तहसीलदार की रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थीयां/रेस्पो. कोई रास्ता उपलब्ध नही था | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से रास्ता कायम किये जाने में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी किया जाना स्पष्ट नही होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27/09/2017 विधिसम्मत प्रतीत होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 08/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर